फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होमफीन (इंडिया) लिमिटेड, चौथी मंजिल, यूनिट नं. 401 से 404, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री श्यामपाल सिंह तंवर ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पालीवाल पुत्र श्री सोहनलाल पालीवाल नि. शांति कॉलोनी इएसआई, हॉस्पीटल के पीछे, कांकरोली जिलाः राजसमंद, राजस्थान –313324,
   निवासी – 3–ए/01, पंचशील नगर नं. 03, पाईप लाईन अनिक डिपोजीन ईस्ट, सेन्ट्रल मुम्बई–400022,
   निवासी – प्लाट नं. 6–ए, खसरा नं. 358 शांति कॉलोनी, कांकरोली तहसील एवं जिला राजसमंद, चित्रकुट नगर, उदयपुर–313324
2. श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री मांगीलाल पालीवाल नि. शांति कॉलोनी इएसआई, हॉस्पीटल के पीछे, कांकरोली जिलाः राजसमंद, राजस्थान –313324,
   निवासी – प्लाट नं. 6–ए, खसरा नं. 358 शांति कॉलोनी, कांकरोली तहसील एवं जिला राजसमंद, चित्रकुट नगर, उदयपुर–313324

–सहऋणी /बंधककर्ता

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 81/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.01.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथूट होमफीन (इंडिया) लिमिटेड, चौथी मंजिल, यूनिट नं. 401 से 404, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर ने दिनांक 12.10.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 899685.00 की ऋण सुविधा दिनांक 31 मार्च, 2017 को जरिये ऋण अनुबंध संख्या 025-00000064 से ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ऋणियों/सहऋणीयों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अचल संपति श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री मांगीलाल पालीवाल का प्लाट नं. 6–ए, खसरा नं. 358 शांति कॉलोनी, कांकरोली तहसील एवं जिला राजसमंद, जो दिनांक 08 सितम्बर, 2003 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179 में पृष्ट संख्या 69 कम संख्या 1069 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 340 के पृष्ठ संख्या 171 से 178 पर चस्पा शुदा जिसके पड़ौस (1) पूर्व मेंः– 30 फिट रोड़, (2) पश्चिम मेंः– प्लॉट नं. 06	

(3) उत्तर में:– 30 फिट रोड़ (4) दक्षिण में:– प्लॉट नं. 10 एवं 11 अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 31 जुलाई, 2021 को अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 954560/– अक्षरे नो लाख चौवन हजार पॉच सौ साठ रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 01 अगस्त, 2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 26 जुलाई, 2021 को अप्रार्थीगण को प्रेषित किया। जिसकी प्राप्ति अप्रार्थीगण को दिनांक 04 एवं 05.08.2021 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी चरण संख्या 02 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है:–

Sec- 12 In the principal Act, in section 14, in sub-section (1)-

(1) In the second proviso, after the words " secured assets" the words "Within a period of thirty days from, the date of application" shall be inserted:

(2) in after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी/सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 26 जुलाई, 2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल

होने के बावजुद भी अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथूट होमफीन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री मांगीलाल पालीवाल का प्लाट नं. 6–ए, खसरा नं. 358 शांति कॉलोनी, कांकरोली तहसील एवं जिला राजसमंद, जो दिनांक 08 सितम्बर, 2003 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179 में पृष्ट संख्या 69 क्रम संख्या 1069 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 340 के पृष्ठ संख्या 171 से 178 पर चस्पा शुदा सम्पति जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :– (1) पूर्व में :– 30 फिट रोड़, (2) पश्चिम में :– प्लॉट नं. 06 (3) उत्तर में :– 30 फिट रोड़ (4) दक्षिण में :– प्लॉट नं. 10 एवं 11.

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होमफीन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथूट होमफीन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द